

**कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।**

E-Mail Address: [dfochatranorth@gmail.com](mailto:dfochatranorth@gmail.com), Telefax No. 06541-253240

पत्रांक - .....1720 / दिनांक - 21.09.2021.....

सेवा में,

चेतन कुमार मिश्रा,  
CGD Head (Gas), Chatra & Plamu  
भारत गैस रिसोर्सेस लिमिटेड  
॥ लेन शिव मंदिर के नजदीक,  
प्रोफेसर कॉलनी, चतरा।

**विषय :- प्रस्ताव सं०-FP/JH/Pipeline/145009/2021 चतरा जिला अंतर्गत गैस वितरण हेतु मौजा हरहद से अरिहंत फ्युल, चतरा तक Carbon Steel & PE Natural Gas Pipeline निर्माण के क्रम 0.1055 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।**

प्रसंग :- आपका पत्रांक PL/CGD/CHATRA/3.2/CP/FOREST दिनांक 21.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि चतरा जिला अंतर्गत गैस वितरण हेतु मौजा हरहद से अरिहंत फ्युल, चतरा तक Carbon Steel & PE Natural Gas Pipeline निर्माण के क्रम में कुल 0.1055 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव की जांच की गयी, जांच के क्रम में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :-


1. समर्पित प्रस्ताव के भूमि विवरणी तथा पार्ट-1 के B.2.1.- Details of Division involve, B.2.2.- Details of District involve & B.2.3.- Village Wise Breakup में अपयोजित होने वाली भूमि का रकवा भिन्न-भिन्न है।
2. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की प्रति सलंगन नहीं है।
3. गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र सलंगन नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ समर्पित सभी कैडेस्ट्रल मैप पर प्रस्तावित स्थल का वनभूमि, जंगल झाड़ी भूमि एवं अन्य/रैयती भूमि को एक ही रंग (Color) से दर्शाया गया है, इसे अलग-अलग रंग से दर्शायी जाय, तदनुसार प्रत्येक मैप पर Index भी दर्शायी जाय।
5. प्रस्ताव के साथ समर्पित कैडेस्ट्रल मैप Scale पर समर्पित नहीं किया गया है, कृपया 16"=1 Mile के Scale पर मैप समर्पित किया जाय।
6. प्रस्ताव के साथ Cost Benefit Analysis प्रतिवेदन सलंगन नहीं है।


7. प्रस्ताव के साथ No Alternative Suitable Non Forest Land का प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा से निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।
8. प्रस्ताव के सभी पन्नों पर अधिकृत व्यक्ति (Authorize Person) का हस्ताक्षर के साथ-साथ नाम सहित मुहर एवं तारीख अंकित होना अनिवार्य है।
9. प्रस्ताव के साथ Authorization Letter सलंगन नहीं है।
10. पार्ट-1 में Additional Document के Attachment में निम्न कागजात ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है :-

- I. भूमि विवरणी
- II. FRA के तहत प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र
- III. CA, NPV, Additional NPV का वचनवद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking)

अतः प्रस्ताव की मुल प्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर बिन्दुवार प्रतिवेदन समर्पित किया जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। उपरोक्त पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण करने में कठिनाई होती है तो प्रमंडलीय कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

आपका विश्वासी

  
वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।

  
21/09/2024